

प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास
प्राधिकरण, देहरादून।
2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
देहरादून/हरिद्वार।
3. उपाध्यक्ष,
समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।

आवास अनुभाग-2

विषय: वर्ष, 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नये जिला
स्तरीय विकास प्राधिकरणों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सम्यक् विचारोपरांत लिए गये निर्णयानुसार मुझे यह
कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को
छोड़कर नये सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक
स्थगित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट
करें।

भवदीय,

Vinod Kumar

17.03.21

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

संख्या- / / V-2 / 21-5 (आ०) / 2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्पण कुमार राजू)
उप सचिव

SE/EE / A.C. / Smt. Subash Joshi
ACA

31.03.2021
18.3.21
देहरादून

03/04/2021
(शैलेष्वा कुमारी)
सचिव
उत्तराखण्ड शासन

JCA
mar
30.03.21